



जोधपुर नगर निगम, जोधपुर

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, सौरभ पथ, जोधपुर

JMC
JODHPUR MUNICIPAL CORPORATION

अभ्यांक- 726/6

दिनांक- 16/03/2020

I.B.T.(B) 54 / 2020-21

बी मुरलीधर मंगवाणी व प्रफुल्लकाल मंगवाणी पुत्रान्
बी रोपीराम मंगवाणी
भूखण्ड सं. 179-ए, सिन्धी कॉलोनी, जलजोग चौराहा, जोधपुर।

::- भवन निर्माण आदेश :-

विषय - आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।
प्रसंग - आपका आवेदन पत्र दिनांक 09.01.2019।

उपरोक्त विषयावर्तगत एवं प्रसंगिक गठित भवन निर्माण अनुमति समिति की बैठक दिनांक 10.06.2020 की प्रस्ताव संख्या 17 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- 1 बालकॉनी व छप्पे का निर्माण नहीं करेगे।
- 2 पट्टी की बिल्डिंग लार्डन को यथावत रखेंगे।
- 3 मानचित्र एवं प्लॉट में यदि चतुर्तरी दर्शायी गई है तो उसे खुली रखेंगे।
- 4 खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेंगे।
- 5 स्थानित्व के संक्षेप में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
- 6 वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
- 7 भविष्य में इकाया राशि निकालने पर उम्मा करवाने को बाध्य रहेंगे।
- 8 भवन में नियमानुसार अग्नि हलन सुरक्षा व्यवस्था उरनी होगी।
- 9 दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृति शून्य मानी जायेगी।
- 10 भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।
- 11 निर्माण स्थल पर 4'x4' के बॉर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण साक्यानी पूर्णक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
- 12 भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मेटेरियल सड़क पर नहीं डाला जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मेटेरियल नू-स्वामी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के परंपरा पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।
- 13 भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व सर्वे पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसका प्रयोग कर सके। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।
- 14 यह आदेश नगरीय उच्च न्यायालय में निर्मित बाद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयाधीन रहेगा तथा वर्तमान-भविष्य में भारत सरकार के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेंगे।

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 2,022/- जांच शुल्क- 2,022/- भवन निर्माण शुल्क- 2,500/- बी.एस.यू.पी. शुल्क- 3,489/- मलबा शुल्क- 1,000/- विकास एवं संभारण शुल्क- 12,512/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 5,233/- उपकर- 27,564/- कुल राशि- 56,342/- जरिये रसीद संख्या 9069/455 दिनांक 06.08.2020 एवं सुरक्षा व अमानत राशि- 2,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/466 दिनांक 06.08.2020 को निगम कोष में जमा करा दिये गये हैं, साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्य करने पर आपके विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/236/245 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जायेगी। भवन निर्माण के पश्चात् मलबा सड़क पर पाया गया तो जुर्माना के रूप में 10,000/- (अधर दस हजार रुपये) प्रसूल किये जायेंगे।

स्वीकृति का प्रकार	आवासीय निर्माण
अनुमत निर्माण	बी+जी+2
कुल	241.71
क्षेत्रफल	वर्गगज
लैटवैक	अग्र - 10' पार्श्व - 10' पीछे - 6'6"

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
उपायुक्त (सावर)
नगर निगम, जोधपुर